रजिस्टर्ड न० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 28 जुलाई, 1987/6 श्रावण, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई, 1987

क्रमांक एल० एल० आर० (डी०) (6) 23/83-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 22 जुलाई, 1987 को राष्ट्रपति महोदय

1553-राजपत्र/87-28-7-87—1,274. (1269) मूल्य : 20 पैसे।

द्वारा यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश खनिज (अधिकार निधान) विधेयक, 1983 (1983 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 1987 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

1987 का अधिनियम संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश खनिज (अधिकार निधान) अधिनियम, 1983

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा 22 जुलाई, 1987 को यथा अनुमोदित)

खनिज अधिकारों को राज्य सरकार में निहित करने तथा खनिजों के स्वामियों को राशि के संदाय के लिए तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए—

अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह एतद्द्वारा अधिनियमित किया जाता है:—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश खनिज (अधिकार निधान) अधिनियम, 1983 कहा जा सकता है ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कलक्टर" से अभिप्रेत है, किसी ज़िले का ज़िलाधीश तथा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों में से सभी या किसी के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी भी उसके अन्तर्गत है ;

(ख) "खनिज" से अभिप्रेत है, खनिज तथा गौण खनिज जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के क्रमश: खण्ड (क) तथा (ङ) में परिभाषित हैं ; 1957 का 67

(ग) "भूमि" से अभिप्रेत है भूमि, चाहे उसके सम्बन्ध में भू-राजस्व निर्धारित है अथवा नहीं, तथा नदी के तल और निर्माणों तथा अन्य संरचनाओं के स्थल इसके अन्तर्गत है ;

(घ) "व्यक्ति" में कोई स्थानीय प्राधिकरण तथा कोई कम्पनी अथवा संगम अथवा व्यष्टि निकायें, चाहे निगमित हों अथवा अनिगमित, सम्मिलित हैं ; तथा

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित ।

खनिजों का राज्य सरकार में निधान।

3. (1) राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा किसी भूमि में खनिजों का अधिकार अर्जित कर सकती है तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट खनिजों के प्रति अधिकार, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, राज्य सरकार में निहित होगा ।

(2) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि में खनिजों के प्रति अधिकार पूर्ण रूप से राज्य सरकार में निहित होगा तथा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार को ऐसे अधिकार के उचित उपभोग तथा व्ययन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी । 1957 का 67

(3) भूमि में खनिजों के अधिकार के अन्तर्गत खानों के पूर्वेक्षण तथा खदान के प्रयोजन हेतु तथा उनके समनुषंगी प्रयोजनों के लिए जिसमें गड्ढे और कूपक खोदना, संयन्त्र और मशीनरी लगाना, सड़कों का निर्माण करना, खनिजों तथा अवशिष्ट-निक्षेप के चट्ठे लगाना, खदान क्रिया तथा निर्माण और सड़कों की सामग्री अभिप्राप्त करना, जल का उपयोग करना और काष्ठ लेना सम्मिलित है, और किसी अन्य प्रयोजन हेतु, जिसे राज्य सरकार खनिज का समनुषंगी घोषित करे, भूमि तक पहुंचने का अधिकार है ।

(4) यदि राज्य सरकार ने किन्हीं खनिजों पर अपना अधिकार किसी व्यक्ति को समनुदिष्ट कर दिया है, तथा यदि ऐसे अधिकार के उचित उपयोग के लिए यह आवश्यक हो कि उप-धाराओं (2) तथा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से सभी का अथवा किसी का प्रयोग किया जाना चाहिए तो कलक्टर लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों तथा प्रति-बन्धों के अध्यधीन जो वह विनिर्दिष्ट करे ऐसी शक्तियां उस व्यक्ति को, जिसे अधिकार समनुदिष्ट किया गया है, प्रत्यायोजित कर सकता है ।

राशि का संदाय ।

4. (1) धारा 3 के अधीन किसी भी भूमि में खनिजों के प्रति अधिकार निहित होने पर, यथास्थिति, वार्षिक संविदा धन के, अथवा स्वामित्व या स्थिर किराया में से, जो भी अधिक हो उसके, दस प्रतिशत के बराबर की राशि, जो किसी वर्ष में निकाले गये खनिजों पर राज्य सरकार को संदाय हो, ऐसे निधान के तुरन्त पूर्व खनिजों के अधिकार के हकदार व्यक्ति को ऐसे निधान के दस वर्ष की अवधि के लिए विहित रीति में वार्षिक रूप से संदत्त की जायेगी :

परन्तु यदि कोई संविदा, अथवा पट्टा नहीं दिया जाता है अथवा पट्टाधारी किसी अवधि के लिए खनिज नहीं निकालता है, तो उस अवधि के लिए कोई राशि संदत्त नहीं की जायेगी, तथा उपर्युक्त दस वर्ष की अवधि उतनी अवधि के लिए बढ़ाई गई समझी जायेगी ।

परन्तु यह और कि राशि का संदाय, यथास्थिति, संविदा या पट्टा आरम्भ होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होगा ।

स्पष्टीकरण.—यदि राज्य सरकार खनिज स्वयं निकालती है, तो स्वामित्व या स्थिर किराया, जो भी अधिक हो, ऐसे संगणित किया जायेगा जैसे कि राज्य सरकार पट्टाधारी हो ।

(2) कलक्टर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसे या जिन्हें राशि संदत्त की जायेगी, आदेश विहित रीति में घोषित करेगा ।

(3) यदि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई विवाद हैं, जो राशि के संदाय के हकदार हैं, तो कलक्टर आदेश द्वारा विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि उसका निष्कर्ष है कि एक से अधिक व्यक्ति राशि के हकदार हैं तो वह राशि ऐसे व्यक्तियों में प्रभाजित करेगा ।

न्यायालय को निर्देश ।

5. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन कलक्टर के आदेश से सन्तुष्ट नहीं है, कलक्टर को लिखित आवेदन करके उससे यह अपेक्षा कर सकता है कि मामला आरम्भिक अधिकारिता प्राप्त किसी प्रधान सिविल न्यायालय के अवधारण हेतु उसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, चाहे उसका आक्षेप राशि की मात्रा के सम्बन्ध में, उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्हें वह संदेय है, अथवा हकदार व्यक्तियों में उसके प्रभाजन के सम्बन्ध में हो ।

(2) आवेदन में उन आधारों का वर्णन किया जायेगा, जिन पर कलक्टर के आदेश के प्रति आक्षेप किया गया है :

परन्तु ऐसा प्रत्येक आवेदन—

(क) यदि उस समय, जब कलक्टर ने आदेश किया, आवेदक उसके समक्ष उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था, कलक्टर के आदेश की तिथि से छः सप्ताह के भीतर किया जायेगा ;

(ख) अन्य दशाओं में कलक्टर के आदेश के संप्रेषण की तिथि से छः सप्ताह के भीतर किया जायेगा ;

(3) निर्देश करते हुए कलक्टर, न्यायालय की सूचना हेतु, अपने हस्ताक्षर से लिखित ऐसी विशिष्टियों का उल्लेख करेगा, जो निहित की जाएं ।

(4) आरम्भिक अधिकारिता प्राप्त प्रधान सिविल न्यायालय मामले का विनिश्चय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ सिविल न्यायालय को लिखित आदेश द्वारा निदेश कर सकता है कि वह उसका विनिश्चय करे ।

छूट ।

6. इस अधिनियम की कोई भी बात केन्द्र सरकार अथवा उसके नियन्त्रण के अधीन किन्हीं स्थापनों या उपक्रमों के स्वामित्व तथा कब्जे में भूमि या सम्पत्ति पर लागू नहीं होगी ।

सिविल न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों को सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना ।

7. इस अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्ध लागू होंगे । 1908 का 5

सिविल न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में अपील ।

8. जहां मामला आरम्भिक अधिकारिता प्राप्त प्रधान सिविल न्यायालय के अधीनस्थ, किसी सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया है, वहां उक्त प्रधान सिविल न्यायालय को और अन्य दशाओं में सम्बद्ध उच्च न्यायालय को अपील हो सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

9. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा जब वह कुल मिला कर दस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, सत्र में हो, और, यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या उपर्युक्त क्रमवर्ती सत्रों के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपांतर करती है या यह निर्णय लेती है कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु इस

प्रकार का ऐसा कोई उपांतरण या वातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

कठिनाई दूर करने की शक्ति ।

10. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई पैदा हो तो, सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकती है अथवा ऐसा निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसे उसे ऐसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।